

नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनिरात्र कंपनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited
(Aminiratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

ककरी परियोजना/ Kakri Project



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट ककरी, जिला- सोनभद्र, उ.प्र., पिन 231224/ Post- Kakri, Distt- Sonbhadra, U.P. PIN-231224

Phone: 05446- 278094, (FAX) 05446-278375 email: gmkak.ncl@coalindia.in website : www.nclcil.in

पत्रांक: ककरी/ महाप्रबंधक/ वन/ 2022/ 314

दिनांक: 29/07/2022

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वनप्रभाग,
सोनभद्र।

विषय: रेनुकूट वन प्रभाग अंतर्गत नॉर्दन कोल फील्ड्स लि. की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तांतरित 185.84 हे. वन भूमि लीज के ऑन लाइन नवीनीकरण प्रस्ताव संख्या - एफपी/यूपी/एमआईएन/29061/2017 के संबंध में।

संदर्भ : आपका पत्रांक 13/रेनुकूट/15-38 दिनांक 01.07.2022।

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रों द्वारा ककरी परियोजना से मांगी गई वांछित सूचनाएं निम्न टेबुलर फॉर्मेट में दी जा रही हैं -

क्र. सं.	प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र दिनांक - 01.07.2022 में अंकित बिंदु	एन.सी.एल का उत्तरलेख
1.	प्रशंगत प्रकरण में हरदोई वन प्रभाग से उपलब्ध कराए गये समतुल्य गैर वन भूमि से संबंधित जी०ओ० रेफरेंस मानचित्र एवं टोपोशीट पर प्रभागिए वनाधिकारी हरदोई वन प्रभाग का हस्ताक्षर नहीं हैं। अतः प्रभागिय वनाधिकारी हरदोई वन प्रभाग से हस्ताक्षर करने के उपरान्त उसकी प्रति स्कैन करके पेन ड्राइव में उपलब्ध कराई जाए।	ककरी परियोजना द्वारा समतुल्य गैर वन भूमि से संबंधित जी०ओ० रेफरेंस मानचित्र एवं टोपोशीट पर प्रभागिए वनाधिकारी हरदोई वन प्रभाग के हस्ताक्षर के उपरान्त स्कैन की गई प्रति पेन ड्राइव में अपलोड कर दी गई हैं। 05 सं० पेन ड्राइव इस पत्र के साथ उपलब्ध कराई जा रही हैं (संलग्नक 1)।
2.	बिन्दु संख्या -5 के अनुपालन में जिन रिट याचिका संख्या - 33050/2010 का उल्लेख किया गया है वह एन.सी.एल दुधीचुआ एवं खड़िया से संबंधित प्रकरणों में दाखिल किया गया है। कृपया अपने प्रकरण में संशोधित सूचना उपलब्ध कराई जाए।	इस बिंदु के अनुपालन में अवगत कराना है कि एन.सी.एल से सम्बंधित पट्टाभिलेख का मामला माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट याचिका CMWP No. 33050/2010 के तहत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है। उक्त दायर रिट याचिका में

		याचिकाकर्ता क्र. 1 के रूप में एन.सी.एल खुद हैं, जिसकी ककरी एक परियोजना हैं। एन.सी.एल दुधिचुआ एवं खड़िया याचिकाकर्ता क्र. 2 के रूप में मौजूद हैं। अतः उक्त रिट याचिका का स्थगन आदेश ककरी परियोजना के ऊपर भी समान रूप से लागू होगा क्योंकि विधिक प्रश्न दोनों परियोजनाओं के लिए समान हैं। अतः उक्त रिट याचिका के अंतिम आदेश के अनुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
3.	बिन्दु संख्या -1 के अनुपालन में अनुपालन आख्या हिन्दी में तैयार करते हुए उसे परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुए सूचना उपलब्ध कराया जाए।	परिवेश पोर्टल में हिन्दी में तैयार अनुपालन संख्या अपलोड कर दी गई हैं एवं इस पत्र के साथ संलग्न (संलग्नक 2) करके भी उपलब्ध करायी जा रही हैं।

यह आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


महाप्रबंधक

 ककरी परियोजना

Point wise compliance report of conditions stipulated by Govt. of India, New Delhi for release of Forest Land vide letter No. - 8-350/87-FC dtd. 30.05.1989 with respect to Kakri Project is given below: -

<u>S. No.</u>	<u>Conditions</u>	<u>Remarks</u>
1.	Legal status of the forest to remain unchanged	सहमत हैं। खनन कार्य के उपरान्त 185.84 हे० वन भूमि में नियमानुसार वनीकरण कर उक्त भूमि वन विभाग को पुनः सौंप दिया जाएगा।
2.	Compensatory plantation to be raised over equivalent non-forest land at the cost of the project. The non-forest land identified for this purpose should be handed over to the forest department and notified as Protected Forest before the release of forest lands diverted by these orders	ककरी परियोजना द्वारा समतुल्य गैर वन भूमि में Compensatory plantation का कार्य 1989 में जनपद हरदोई (उ.प्र.) के 189.84 हे० गैर वन भूमि में परियोजना की लागत द्वारा कराया गया था। उक्त गैर वन भूमि हेतु जिलाधिकारी हरदोई को ₹ 7,45,946 का भुगतान 02.10.1989 को किया गया था। उक्त गैर वन भूमि में Compensatory plantation हेतु प्रभागीय वानाधिकारी हरदोई वन प्रभाग को ₹ 52,81,430 का भुगतान 09.11.1989 को किया गया था। उक्त कार्य के पूर्ण होने की पुष्टि हेतु प्रभागीय वानाधिकारी हरदोई वन प्रभाग द्वारा पत्र सं० 566 दिनांक 04.08.1992 के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराई गई थी।
3.	Final forest land to be reclaimed/restored after mining/quarrying is over as per reclamation scheme submitted.	ककरी परियोजना में वनीकरण कार्य निरंतर चल रहा है एवं 185.84 हे० वन भूमि में खनन कार्य के पूर्ण होने पर नियमानुसार वनीकरण का कार्य किया जाएगा।
4.	In order that the construction labour and staff while working on the project in the forest area may not cause destruction to the forest area for meeting their fuelwood needs, the user agency will establish fuelwood depots, and will provide the fuelwood to them free of cost or its cost deducted from their salary and wages.	ककरी परियोजना द्वारा अपने श्रमिक कर्मियों को एल०पी०जी गैस सिलिंडर मुफ्त में उपलब्ध कराए जाते हैं।
5.	No explosives should be allowed to be stored in the forest area.	185.84 हे० वन भूमि में कोई विस्फोटक भंडारण नहीं किया जाता है।
6.	The conditions/safeguards proposed by the DOE, while clearing the project to be followed rightly.	शर्त का अनुपालन किया गया है।

29/7/22



[Signature]
महाप्रबंधक

[Signature] ककरी परियोजना